भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/22/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: २३ जून, 2026

मामला संख्याः –एडी(ओआई)-20/2026

सेतु मामला आईडी सं.-एडी/ओआई/023/2026

<u>जांच शुरूआत की अधिसूचना</u>

-

विषय: रूस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा नॉनिलफेनॉल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/22/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (क्षति के निर्धारण के लिए पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने "पैरा नॉनिलफेनॉल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. वर्तमान आवेदन-पत्र में **रूस और ताइवान** के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की गई थी। अत:, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में **रूस और ताइवान** को संबद्ध देश माना है।

3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से **पैरा नोनीफेनॉल** के पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद **रूस और ताइवान** के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"पैरा नॉनिलफेनोल"** है (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "पीएनपी" कहा गया है)।

5. **पैरा नोनीफेनॉल** एक रासायनिक यौगिक है, जिसे 4-नोनीफेनॉल के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एक मध्यवर्ती के रूप में

किया जाता है। यह एक पारदर्शी, चिपचिपा तरल है जो फेनोल के एल्काइलेशन द्वारा निर्मित होता है। पीएनपी कुछ कार्बनिक विलायक में घुलनशील है लेकिन पानी में कम घुलनशील है। पीएनपी का रासायनिक सूत्र और संरचना C15H24O है।

माप की इकाई

6. विचारधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई एमटी/किलोग्राम है।

प्रशुल्क वर्गीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत विशेष रूप से उप-शीर्ष 29071300 के तहत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/प्रशुल्क मद के तहत किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दे सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी,प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित सामान तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों और समान वस्तुओं का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु मानी गई है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश **रूस और ताइवान** हैं।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदक ने शुरू में जांच की अवधि 9 माह अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 माह) और क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित की थी। इसके बाद, आवेदक ने कहा है कि अथॉरिटी जांच की अवधि को 12 महीने, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बदलने का फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि इससे डंपिंग, नुकसान और इनके बीच के कारण-संबंध का ज़्यादा सटीक और व्यापक आकलन हो सकेगा। अतः, प्रस्तावित संशोधित अवधि को जांच के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है और तदनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच (जिसे इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के लिए जांच की अवधि ("पीओआई") को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह) और क्षति की जांच

की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक मानने का निर्णय लिया है।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

12. आवेदन-पत्र मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन में उनका हिस्सा 99% से अधिक है।

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के मद्देनज़र, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकता को पूरा करता है।

च. तथाकथित पाटन का आधार

क) रूस के लिए सामान्य मूल्य

14. याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने रूस में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों या उत्पादन लागत की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है, तथापि, सफल नहीं हो सके क्योंकि उक्त सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने उचित लाभ मार्जिन के लिए समायोजित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार रूस के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

15. यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए, याचिकाकर्ता ने कच्चे माल और यूटिलिटियों की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों को अन्य विनिर्माण और सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ लिया है ताकि कारखानागत सामान्य मूल्य निकाला जा सके। जांच शुरू करने के उद्देश्य से इस पर विचार किया गया है।

ख) ताईवान के लिए सामान्य मूल्य

16. याचिकाकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने ताइवान में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों या उत्पादन लागत की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है, हालांकि, सफल नहीं हो सके क्योंकि उक्त सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने उचित लाभ मार्जिन के लिए समायोजित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

17. यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कच्चे माल और यूटिलिटियों की लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के साथ अन्य विनिर्माण और सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उपयुक्त लाभ मार्जिन को लिया है ताकि कारखानागत सामान्य मूल्य निकाला जा सके।

ग) निर्यात कीमत

18. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से, कारखानागत निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम डेटा आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा और अन्य खर्चों के निमि)त्त समायोजन किए गए हैं।

घ) पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो *प्रथम दृष्टया* दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किये जा रहे हैं।

छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संपर्क

20. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबंधित देशों से संबंधित आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष, दोनों ही रूपों में वृद्धि का साक्ष्य है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

21. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाने के लिए, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए तथाकथित पाटन और मौजूदा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति का संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संतुष्ट होने पर, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

झ. प्रक्रिया

23. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु मामला सं. - एडी/ओई/023/2026 पर अपलोड किए जाएंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

25. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। यह सभी सूचनाएं इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

28. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov. i n) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी-एडी/ओआई/023/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।

30. प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के

उत्तर दायर करें।

32. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 30 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

33. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

35. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

36. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

37. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना' माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः सूचीबद्ध या ब्लैंक्ड आउट (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना

के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

40. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

41. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

42. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

43. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ढ. <u>असहयोग</u>

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 23-06-2026
16:13:19